

विचार बिन्दु

हमारे कष्ट पापों का प्रायश्चित है। —हज़रत मोहम्मद

सर्वोच्च न्यायालय पर इतना आक्रमण क्यों?

भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 2०22 में जब से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं, वे निरंतर अपने विवादास्पद व्यवहार और बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। इससे पूर्व जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई प्रकार के विवादों में उलझे रहे। अपने बयानों के द्वारा वे राज्य सरकार के काम करने के तरीके पर कटाक्ष करते रहे और सर्वजनिक रूप से भी राज्य सरकार की बहुत आलोचना करते रहे। राज्यापालों से अपेक्षा यह की जाती है कि वे सवैधानिक पद पर होने के कारण, अपनी राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठकर निष्पक्ष और संवैधानिक मर्यादा के अनुसार कार्य करेंगे। संभवतया, राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार के कामकाज में उन्होंने जिस प्रकार केंद्र के इशारे पर रोड़े अटकाए, उसी को देखते हुए, भाजपा के नेतृत्व ने उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर अपना उम्मीदवार बनाया और बहुमत के आधार पर वे इस पद पर आसीन भी हो गए।

उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। गत 3 वर्षों में, अनेक बार यह देखा गया है कि उन्होंने सभापति के रूप में पक्षपात पूर्ण कार्य करते हुए विपक्षी नेताओं को बार–बार टोका। एक बार तो उन्होंने अनेक सांसदों को राज्यसभा की सदस्यता से निर्लंबित भी कर दिया। उनका पक्षपात पूर्ण व्यवहार, टीवी पर राज्यसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के माध्यम से पूरे देश ने कई बार देखा है। विपक्षी दलों ने तो एक बार उनके व्यवहार से धुब्ध होकर उनके विरुद्ध अविवश्या प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था, किंतु उपसभापति ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राज्यपाल और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य करते हुए अपने पदों की गरिमा को तार–तार कर दिया।

हाल ही में उनका सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में दिया गया बयान तो सारी सीमाओं को पार कर गया। इसके कारण मीडिया में गत तीन चार दिन से उनकी आलोचना हो रही है। यह वक्तव्य उन्होंने राज्यसभा के प्रशिक्षु इन्टर्न के बैठ को संबोधित करते हुए दिया था। उन्होंने कई प्रकार के आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगाते हुए कहा कि, “सुप्रीम कोर्ट अपने आप की सुपर संसद की तरह मानी है।” वह संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग परमाणु मिसाइल की तरह करती है जिससे लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की कोई जवाब देही नहीं है। उन्होंने इस अवसर पर न्यायाधीश वर्मा के घर पर जले हुए नोट मिलने की बात का भी उल्लेख किया और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज न करने पर भी आक्षय व्यक्त किया। यह सही है कि न्यायाधीश वर्मा के बारे में हो रही जांच में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में कोई जानकारी सर्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की कार्रवाई को वेबसाइट पर सर्वजनिक करने का साहस अवश्य दिखाया है। यह आशा की जा सकती है कि जस्टिस वर्मा के विरुद्ध संवैधानिक रूप से जो भी कार्रवाई संभव है वह शीघ्र की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णय की अवहेलना हुई है। इससे कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। कानून बनाने का काम संसद का है न कि सर्वोच्च न्यायालय का। इस प्रकार के बयान देने समय उपराष्ट्रपति यह भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी कानून बनाया नहीं, अपितु जब भी संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान के विपरीत था तो उसे निरस्त करने का संवैधानिक दायित्व निभाया। ऐसा करके उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन ही किया।

यह भी एक विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य उच्च सत्ताधारी नेता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की उस समय प्रशंसा करते हुए नहीं थकते जब कोई निर्णय सरकार के पक्ष में हो जाता है। उदाहरण के लिए जब राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सर्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए न्याय की सराहना की।

उपराष्ट्रपति जब विधायिका के सम्मान की बात करते हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की होती तो विधानसभा में चुने हुए विधायकों द्वारा पारित कानून का क्या हश्र होता? तमिलनाडु विधानसभा के 1० विधेयक, पारित होने के बाद भी राज्यपाल के पास अनिश्चितकाल तक पड़े रहे और बाद में राष्ट्रपति के पास विचार दिए हेतु भेज दिए गए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है।

यदि कोई सामान्य व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ऐसे शब्द बोलता तो इसे उसकी नासमझी माना जा सकता था। धनखड़ न केवल एक ऊंचे संवैधानिक पद पर विराजमान हैं अपितु वे एक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। उनके मुख से सर्वोच्च न्यायालय के प्रति ये शब्द अत्यंत महत्व रखते हैं। इसीलिए यह देश के लिए न केवल चिंतन का विषय है अपितु चिंता का भी, क्योंकि न्यायपालिका में विश्वास समाप्त होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

उसे निरस्त नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश में बुलंदोजर के माध्यम से गरीबों के मकान गैर कानूनी रूप से बिना नोटिस के ध्वस्त करने के आदेशों पर यदि सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता।

यदि सुप्रीम कोर्ट समुचित आदेश नहीं देता तो यही लगता कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है।

उपरोक्त कुछ प्रकरणों से तो यही स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल संविधान सम्मत कार्य किया है। संसद और सुप्रीम कोर्ट में से कौन बड़ा है, यह प्रश्न ही बेमानी है। न संसद बड़ी है न न्यायपालिका। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता नागरिकों की होती है और उसी को बनाए रखने के लिए संविधान बना है। अतः, सर्वोपरि तो संविधान है और शासन के सभी अंगों को उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। जब कभी नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों पर कार्यपालिका द्वारा प्रहार होता है तो, सामान्य नागरिक सदैव सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखते हैं।

वक्क संशोधन कानून पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के एक दिन पूर्व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजिजू ने लगभग चेतानी भरे शब्दों में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा पारित कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार कोर्ट के काम में दखल देना प्रारंभ करे, तो उसे कैसा लगेगा? यह प्रोक्ष रूप में सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने जैसा ही वक्तव्य था।

वक्क संशोधन कानून पर बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश खन्ना द्वारा पूछे गए तोछे प्रश्नों का उत्तर सॉलिसिटर जनरल नहीं दे पाए और उन्होंने एक सप्ताह का समय उत्तर देने हेतु मांगा। न्यायालय के इस रुख से सरकार में बड़ी खलबली मची हुई है। मजबूत सरकार को यह आश्वासन कोर्ट को देना पड़ा कि वह वक्क संशोधन कानून के बारे में कोई कार्यवाही आगामी तिथि तक नहीं करेगी।

उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगाया। ऐसा कहते समय उपराष्ट्रपति को यह याद नहीं रहा कि पूर्ण न्याय करने के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है।

कार्यपालिका या विधायिका के किसी निर्णय को संवैधानिक समीक्षा करने का अधिकार, संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को दिया है। इसे परमाणु मिसाइल बताकर और इसे लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला बताते से पूर्व उपराष्ट्रपति ने यह नहीं सोचा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किए गए इस संशोधन को निरस्त कर दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाए।

संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि संविधान के अनुसार किसी भी प्रकरण में ‘पूर्ण न्याय’ कर सके।

जब निर्णय सरकार की इच्छा अनुसार होता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती और सत्ताधारी दल के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा निष्पक्ष और न्याय प्रदान करने वाला बन जाता है। जब वही सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय सरकार को इच्छा के विपरीत देता है तो पूरी सरकार, उसका आई टी सेल, सत्ताधारी दल एवं उसके सभी नेता सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न विशेषणों से विभुषित करने में जुट जाते हैं। भाजपा संसद शिक्षाकत दुबे ने तो यहां तक टवीट किया कि जब कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर यह आरोप त्त लगा दिया कि वे देश को धार्मिक और गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं।

वक्क संशोधन कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके कुछ प्रावधानों पर क्रियान्विति रोकने के आदेश के बाद से भाजपा की टोल सेना सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने में जुट गई है। कोई इसे “शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया” बता रहा है तो कोई इसे ‘सुप्रीम कोठा’ तक कह रहा है।

अंत में यही कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति ने जो शब्द सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कहे हैं वे उनके पद की मर्यादा के कतई अनुकूल नहीं हैं। उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने आज तक कभी ऐसा मर्यादा हीन बयान नहीं दिया है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ऐसे शब्द बोलता तो इसे उसकी नासमझी माना जा सकता था। धनखड़ न केवल एक ऊंचे संवैधानिक पद पर विराजमान है अपितु वे एक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। उनके मुख से सर्वोच्च न्यायालय के प्रति ये शब्द अत्यंत महत्व रखते हैं। इसीलिए यह देश के लिए न केवल चिंतन का विषय है अपितु चिंता का भी, क्योंकि न्यायपालिका में विश्वास समाप्त होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

—अतिथि सम्पादक,

राजेन्द्र ध्राष्ट्रपावत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

कहीं व्यवस्था में ही दोष तो नहीं चपरासी के लिए उच्च डिग्रीधारियों के आवेदन



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए उच्च डिग्रीधारियों के बहुतायत में आवेदन से हमारी संपूर्ण व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाती है। आखिर ऐसे हालात क्यों होते जा रहे हैं। कभी सफाई कर्मचारी के पद के लिए तो कभी चपरासी के पद के लिए उच्च अध्ययन प्राप्त युवाओं का आवेदन करना आम होता ता रहा है। कहने को तो इसके लिए किसी पर भी दोषारोपण आसान हो जाता है पर हालात सामने होने के साथ ही गंभीर चिंता के भी हो जाते हैं।

अब इसका शिक्षा व्यवस्था को ही दोष दिया जाए या बढ़ती बेरोजगारी या फिर सरकारी नौकरी का मोह माना जाये कि राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में भर्ती के लिए मांगे गये आवेदन में 2० अप्रेल तक 23 लाख 65 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 53749 पदों के लिए आवेदन के लिए निर्धारित योग्यता दसवीं पास होना है वहीं दसवीं पास के पद के लिए आवेदन करने वालों में पीएच. डी,

ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं तकनीकी शिक्षा प्राप्त बीटेक और बीएड जैसी योग्यताधारी शामिल है।

इसका मतलब यह हुआ कि आईएएस, आईपीएस, आरएएस, प्रोफेसर, शिक्षक या प्रदेशों की सिविल सर्विस व अन्य इसी तरह के उच्च पदों की योग्यता को पूरी करने वाले युवक रोजमर्रा की भाषा में कहें तो चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करने में किसी तरह का संकोच नहीं कर रहे हैं। यह हालात हमारी संपूर्ण व्यवस्था को प्रश्नों के घेरों में खड़ा कर देती हैं। आखिर हमारी व्यवस्था का कहां रही है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त चयनित नहीं होते हैं तो सवाल यह उठेगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भी चपरासी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकें। वहीं किसी कारण से शिक्षा पूरी नहीं कर सकने वाले युवक दसवीं की परीक्षा ही पास कर सके हैं और चपरासी के पद के लिए योग्य है तो उच्च शिक्षितों, अनुभवियों के सामने उनके लिए तो चयन की संभावना लगभग शून्य ही समझी जानी चाहिए।

यदि समान योग्यता वाले आवेदन इतनी बड़ी संख्या में होते तो एक अनार सी बीमार वाली बात तो हो जाती पर फिर सीधा—सीधा यही कहा जाता कि रोजगार के अवसर कम है पर उच्च अध्ययन प्राप्त युवाओं के चपरासी के पद के लिए आवेदन करना हमारी केवल शिक्षा व्यवस्था ही नहीं अपितु पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि युवाओं की योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिल पा रही।

इससे यह तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में ही दोष है। एक और तो सातवें वेतन आयोग के बाद से युवाओं में सरकारी नौकरी का मोह बढ़ा है। फिर रही –सही कसर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने पूरी कर दी है जब चुनावों में मुख्य मुद्दा रोजगार को लेकर उठाया जाता है। चुनावों में रोजगार या यों कहें कि बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए इससे नकारा नहीं जा सकता है पर केवल सरकारी नौकरी का ही चस्मा दिखाया जाता है तो परिणाम फिर इसी तरह के आते हैं। आजादी के बाद निजी क्षेत्र ने काफी विस्तार किया है।

एक समय ऐसा भी रहा है कि जब युवाओं का क्रेज निजी क्षेत्र के प्रति रहता था। निजी क्षेत्र में वेतन–भत्तों के साथ ही सुविधाओं का भी विस्तार था। ऐसा नहीं है कि आज ऐसा नहीं है। आज भी निजी क्षेत्र की अनेकों संस्थाओं में अच्छा पैकेज और सुविधाएं मिलती है। युवाओं को विदेश जाने तक के अवसर मिलते हैं। मेडीक्लेम व अन्य सुविधाएं भी आम है। हां परफोरमेंस और टारगेट की बात अवश्य होती है।

सरकारी नौकरी के पीछे भागने का कारण एक तो सर्विस को लेकर किसी तरह का तनाव नहीं होना है। यों कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी में जांव सिक्योरिटी के साथ ही सुविधाओं का अंबार और पेंशन सुविधा के साथ ही जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं बोझ नहीं दिखाई देता है। सरकारी नौकरी में तो एक तरह का समझौता हो जाता है कि जो काम के प्रति निष्ठावान है उसे काम से लाद दिया जाता है और जो काम के प्रति अधिक गंभीर नहीं होते हैं।

सरकारी नौकरी के पीछे भागने का कारण एक तो सर्विस को लेकर किसी तरह का तनाव नहीं होना है। यों कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी में जांव सिक्योरिटी के साथ ही सुविधाओं का अंबार और पेंशन सुविधा के साथ ही जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं बोझ नहीं दिखाई देता है। सरकारी नौकरी में तो एक तरह का समझौता हो जाता है कि जो काम के प्रति निष्ठावान है उसे काम से लाद दिया जाता है और जो काम के प्रति अधिक गंभीर नहीं होते हैं।

घुमंतू जाति के बच्चों के लिये राज्य सरकार “चल विद्यालय” शुरु करेगी

घुमंतू जाति परिवारों का एक स्थान पर स्थाई निवास नहीं होने के कारण इस जाति के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं

बीकानेर, (निसं)। घुमंतू जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार अब “चल विद्यालय” शुरू करेगी। दरअसल, घुमंतू जाति परिवारों का एक स्थान पर स्थाई निवास नहीं होने के कारण इस जाति के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए रहे हैं। रोजगार के लिए घुमंतू परिवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। यही कारण है कि एक जगह पर स्थाई निवास नहीं होने के कारण इस जाति के बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते और 2 से 3 साल स्कूल जाने के बाद ड्रापआउट की श्रेणी में आ जाते हैं।

हालात यह है कि हर साल राज्य में करीब 1० हजार विद्यार्थी अपनी

पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ रहे हैं। घुमंतू जाति के इन बच्चों को शिक्षा मुहैया करने के लिए सरकार ने “चल विद्यालय” खोलने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रवासी राजस्थानियों से इन विद्यालयों को खोलने में भामाशाहों का रोल निभाने का आव्हान भी किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को चेन्नई द्वीरे पर वहां प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की अपील की।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य को लेकर अब जल्द ही “चल विद्यालय” शुरू

किए जाएंगे। इन “चल विद्यालय” के जरिए उन विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई जाएगी जो घुमंतू जाति से हैं। इन विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर घुमंतू जाति के बच्चों को प्रवेश देकर उनके ही स्थान पर विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि वह शिक्षा से जुड़कर अपना भविष्य

बना सके। इस संबंध में अभी कोई गाइड लाइन नहीं आई है। माना जा रहा है कि घुमंतू परिवार जहां होते वहां सचल विद्यालय लेकर शिक्षक जाएंगे। उन्हें शिक्षा से लगातार जोड़े रखने के प्रयास किए जाएंगे।

गौरतलब है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव के समय

में ऐसा ही एक प्रयोग वर्ष 1991 में “चरवाहा विद्यालय” के रूप में किया गया था।

यह विद्यालय गाय–भैंस चराने वाले बच्चों के लिए शुरू किए गए थे। छात्रों के मवेशी स्कूल के मैदान में चरने के लिए छोड़ने की व्यवस्था की गई थी। पूरे दिन मवेशी चरवाहा विद्यालयों के मैदान में चरते थे तथा छात्र विद्यालय में पढ़ते थे। शिक्षक नेताओं ने बताया कि दो दशक पहले बीकानेर सहित राज्य के अनेक जिलों में घुमंतू जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए चल विद्यालय के तहत बस में कुछ शिक्षक संबंधित क्षेत्र में जाकर उन्हें पढ़ाई करवाते थे। बाद में योजना आगे नहीं बढ़ पाई।

महंगाई और गर्मी से हज जाने वाले यात्रियों में कमी आई

झुंझुनू, (निसं)। हज का मुकद्दस सफर एक मई से शुरू होगा, लेकिन करोना के बाद हज जाने वाले यात्रियों में लगातार गिरावट आ रही है। झुंझुनू ही नहीं, बल्कि राजस्थान और पूरे देश के आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। वहीं सोमवार को झुंझुनू जिले से जाने वाले 37 हज यात्रियों को कमरूद्दीन शाह दरगाह में प्रशिक्षण दिया गया। मेडिकल जांच के बाद टीके लगाए गए और सभी को मुकद्दस सफर के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

झुंझुनू में पिछले साल के मुकाबले लगभग आधे ही मुस्लिम लोगों ने हज जाने के लिए आवेदन किया, जिन्हें किसी लांटरी का भी इंतजार नहीं करना पड़ा। झुंझुनू जिले से 37 मुस्लिमों ने हज के लिए आवेदन किया, जिनका सभी का चयन हो गया। बताया जा रहा है कि हज का महंगा सफर और मक्का मदीना में इस वक्त पड़ने वाली तेज गर्मी के कारण अब हज के मुकद्दस सफर में जाने वाले मुस्लिमों की संख्या



झुंझुनू जिले से जाने वाले हज यात्रियों को कमरूद्दीन शाह दरगाह में प्रशिक्षण दिया गया।

कम हो गई है। यह संख्या करोना के बाद लगातार घट रही है। झुंझुनू के पिछले 1० सालों के आंकड़ों का बात करें तो करोना के बाद जब दुबारा सफर शुरू हुआ था, तब 36 हज यात्री गए थे। इस साल यह संख्या भी 37 के करीब है। पिछले साल जहां 72 हज

- झुंझुनू से 10 साल में पहली बार 37 ही हज यात्री जाएंगे**
- पिछले साल के मुकाबले लगभग आधे ही मुस्लिम लोगों ने हज जाने के लिए आवेदन किया**

निकालनी पड़ी है। हज यात्रियों की संख्या में कमी आने के कारण महंगाई माना जा रहा है, जो सफर पहले 2 लाख रूपए तक हो जाता था। अब वह पांच लाख रूपए तक हो गया है। हज ही उमरा वर्षभर चलता है, जो कम समय में हो जाता है। जबकि हज गर्मी के दिनों में होता है। इसकी हज डेढ़ महीने तक रहना भी पड़ता है। इसके चलते भी अब हज जाने वालों में कमी आई है।

पैथर के हमले से तीन मवेशियों की मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के गंगापूर थाना क्षेत्र के लाखौला चौराहा रोड़ पर हुसनूद्दीन मेवाती के बाड़े में बंदे हुए चार गाय के बछड़ों पर पैथर ने हमला कर दिया। पैथर ने तीन गाय के बछड़ों को मौत के घाट उतार दिया। एक गाय के बछड़ा गंभीर घायल हो गया। वहीं वन विभाग व पशु चिकित्सालय की टीम ने मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया।

जानकारी के अनुसार बाड़े में चार गाय व उनके चार बछड़े बंधे हुए थे। परिवारजन रविवार की शाम को गायों का दूध निकालकर, घास डालकर अपने घर चले गए। सोमवार की सुबह गायों में कमी आने के कारण महंगाई माना जा रहा है, जो सफर पहले 2 लाख रूपए तक हो जाता था। अब वह पांच लाख रूपए तक हो गया है। हज ही उमरा वर्षभर चलता है, जो कम समय में हो जाता है। जबकि हज गर्मी के दिनों में होता है। इसकी हज डेढ़ महीने तक रहना भी पड़ता है। इसके चलते भी अब हज जाने वालों में कमी आई है।

गए और रोजगार के नाम पर ऐसी भर्तियां हुईं जो बोझ बनकर ही रह गईं। यह वास्तविकता का एक पक्ष है दूसरा यह तो उच्च योग्यता होने के बाद भी उसके अनुसार नौकरी नहीं मिलना है। इसके लिए किसे दोष दिया जाए। सवाल यह उठता है कि बीटेक व्यक्ति को इंजीनियरिंग का काम नहीं मिलता है तो फिर उसकी पढ़ाई का मतलब ही क्या है। सवाल यह है कि जिस तरह से निजी क्षेत्र में नए–नए इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज खोले गये और उनमें शिक्षकों की स्थिति, शैक्षणिक स्तर और गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया गया तो केवल डिग्री से क्या होने वाला है। समस्या इतनी साधारण नहीं है जितनी इसे समझा जा रहा है। यह बढ़ती बेरोजगारी की समस्या नहीं है अपितु कहीं ना कहीं हमारी संपूर्ण व्यवस्था का ही दोष है। हालात का समग्रता के साथ विश्लेषण करना होगा नहीं तो चपरासी हो या सफाई कर्मी इतने ही नहीं अपितु इनसे भी ज्यादा आवेदन आएंगे और भर्ती भी होगी, नौकरी पर भी आयेंगे, वास्तविक युवाओं के लिए रोजगार समस्या ही बना रहेगा, सरकारी खर्चा तो यों ही होता रहेगा पर जिस उद्देश्य से या जिस काम के लिए पदों को भरा जाना है उसमें हालात नहीं बदलने वाले हैं। फिर यह कहना कि सफाई कर्मी है पर सफाई नहीं हो रही या चपरासी है पर चपरासी के काम करने वालों की कमी है तो हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। यह समूची व्यवस्था के सामने चुनौती है और इसका समाधान खोजना ही होगा।

—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, (वरिष्ठ लेखक)



पंडित अनिल शर्मा

कुम्भ राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज पंचक रात्रि 12:31 से आरम्भ होगे।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:13 से 1०:49 तक, लाभ अमृत 1०:49 से 2:०2 तब, शुभ 3:38 से 5:14 तक।

राहूकाल: 3:०0 से 4:3० तक। सूर्योदय 6:००, सूर्यास्त 6:5०

मे़ष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

तुला
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

मकर
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलेते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवारिक कार्यों के कारण आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।